

Form No. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
रामकली बनाम कलजी वगै.

किस्म मुकदमा:- धारा अन्तर्गत 212 आरटीए,

नं. मुकदमा..... 446 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2022	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री श्यामदीन परिहार एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से श्री रामकरण मूण्ड एडवोकेट उपस्थित वकालतनामा पेश शामिल मिसल रहे। प्रार्थना पत्र प्रति अप्रार्थीगण संख्या 2 के वकील को दी गई। पत्रावली वास्ते शेष अप्रार्थीगण तलबी एवं जवाब अप्रार्थीगण संख्या 2 आईन्दा दिनांक 21.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">२५</p> <p>21/10/22 पत्रावली पेश हुई। उपर्युक्त वकील द्वारा फाईल में पेश की गई वकील संख्या 2 की ओर से 07/10/22 को पेश किया गया। पत्रावली वास्ते शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते शामिल मिसल रहे।</p> <p style="text-align: center;">२६</p> <p>10/11/22 पत्रावली पेश हुई। अन्तर्गत हुक्म जारी। उक्त पत्रावली में 0-23 R-1 व 3 के लीटर के वाद-पत्र निरर्थक हुक्म जा चुका है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए में पत्रावली का कोई अस्तित्व नहीं है। पत्रावली इसी वजह से निरर्थक है। हुक्म जारी हुक्म अहकाम जारी हुक्म है।</p>	 <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर</p>